

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
जाती है प्रकरण में वदस वकील
प्राची एकपक्षीय चुनी गई। दोराने
वदस वकील प्राची ने अपने
प्रापत्र में अंशित तथ्यों को दोहराते
हुए मुनाबिह अनुशेष विवादग्रान
आराजी की पत्थरवादी करने के
आदेशा प्रदान करने का निवेदन
किया।

परावली, परावली पर
उपरोक्त वाजान रेकार्ड का अण-
कोरन किया गया। चूंकि दिनांक
16.05.2016 को प्ररनगत विनाहित
आराजियात का सीमास्थान है
चुका है एवं अग्राचीगण वावपूष
सम्पक तामील एाजिर अवालत नदी
आये है जिससे अग्राचीगण की
प्राची के प्रापत्र को स्वीकार करने
में सौन स्वीकृति प्रकर हो ली है।

अतः प्राची का प्राचीन
पत्र स्वीकार किया जाकर तहमीलक
खतला को आदेशित किया जाना
है कि मुनाबिह सीमास्थान दिनांकित

